


तारीख दुकम	दुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अटकाम जो इस दुकम की तामील में जारी हुए
29.04.2023	<p>पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 कैम्प/कोर्ट नेवा में प्रस्तुत हुई। जिसके मुकदमा नम्बर 20/2022 अनवान भंवरसिंह वगैरा बनाम नारायणसिंह वगैरा है।</p> <p>वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजीनामा हो गया है अतः वाद का जरिये राजीनामा निस्तारण किया जावे तथा सरकारी पैरोकार ने उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने से वाद का निर्णय गुणावगुण पर किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद अवलोकन वाद का साक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त पैतृक ख्रातेदारी की भूमि ग्राम कानसिंह की सिड पट्टार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 53/19 रकबा 7.1225 हेक्टेयर के रूप में स्थित है, जो पैतृक सम्पति है वह वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पति है। वाद पत्र के साथ दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये तथा वाद के अंत में यह निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से ख्रातेदार काइतकार घोषित किया जावे।</p> <p>वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ने उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता अपना इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया और उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम प्रतिवादी संख्या 1 के साथ दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने बारिसान तस्दीक हेतु बारिसनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।</p> <p>दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के कथनों पर मनन किया गया। वादीगण ने बारिसान तस्दीक हेतु प्रस्तुत बारिसनामा के अनुसार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये हैं। मौजा कानसिंह की सिड को</p>	

  
 अधिकारी  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 सहायक  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 जयपुर

नामान्तरण संख्या 1165 एवं वर्तमान जमाबंदी से वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। पैतृक सम्पत्ति होने से वादीगण का हक निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबदावा पेश कर घोषणा बाबत सहमति व्यक्त की है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकयन के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पत्ति के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा के आधार पर वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ग्राम कानभिंड की ब्लिड के खसरा नम्बर 53/19 रकबा 7.1225 हेक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप खसरेदार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालवा करवें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दारिजल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/04/2023 को बड़जलासा सुनाया गया।

*hishar*

(मांगीलाल, आर.ए.एस.)

विशेष प्रभारी  
उपर्युक्त मामलों के  
सहायक कलेक्टर बाप  
कैम्प नेवा

29/4/2023

12/3/22

### डिगरी बमुकदमें इबादाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाबा बीबानी)

शिविर प्रभारी सहायक कलक्टर एवं उपरण्ड अधिकारी मुकाम बाप  
बइनलख श्री मांगीलाल (आर.ए.एस.)

1. भंवरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बिरदरत तहसील बाप जिला जोधपुर
2. समदरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बिरदरत तहसील बाप जिला जोधपुर
3. देवीसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बिरदरत तहसील बाप जिला जोधपुर

वदीगण.....

बनाम

1. नारायणसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी बिरदरत तहसील बाप जिला जोधपुर
2. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण.....

मुकदमा संख्या :- 20/2022

दावा बाबत धारा 88 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई कबख मेरे व हजिर राजेन्दसिंह सौलकी मिनजानिब मुदई व प्रकाश विइनोई प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुदायलहा पेरा होकर हुकम दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ग्राम कानसिंह की सिड के खखरा नम्बर 53/19 खका 7.1225 हेक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप ख्रातेदार घोषित किया जाता है। उक्त भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजख्य रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। नीचे

मुतालिक

बाबत


खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर तारीख

फिस सबी खालाना आज की

वसूल याबी तक

को अदा करे।

बखस मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/04/2023 को जारी की गई।



*(Signature)*  
 (मांगीलाल आर.ए.एस.)  
 सहायक कलक्टर  
 बाप (जोधपुर)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलहा	रूपया	पैसे
स्टम्प अर्जी दावा स्टम्प स्टम्प वकालत नामा स्टम्प वजह खबत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टम्प वकालत नामा स्टम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुपारिक मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीफन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।